सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 189/2015 दायर दिनाँक 07.10.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. जलाल खां पुत्र अलादीन खां जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बदरूदीन पुत्र चान्द खां 2. धोलू खां पुत्र चान्द खां 3. अजीजखाँ पुत्र चाँदखाँ, 4. मो0 अली पुत्र चाँदखाँ, 5. युसुफखाँ पुत्र चाँदखाँ, 6. हासमअली पुत्र चाँदखाँ, 7. जुबैदा पत्नी चाँदखाँ, 8. एमना पत्नी कमरूदीन, 9. मंसूर पुत्र कमरूदीन, 10. सुल्तान पुत्र कमरूदीन, 11. हजरतअली पुत्र कमरूदीन, 12. गुलाम मुस्ताफ पुत्र कमरूदीन, 13. अ0हकीम पुत्र कमरूदीन, समस्त,जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित:–

1. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन व श्री जितेन्द्रसिंह, वकुलाय, वादी।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 09 की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनाँक 21.12.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 377 रकबा 18.04 बीघा व खसरा नम्बर 378 रकबा 18.05 बीघा भूमि अवस्थित है उक्त भूमि वादी के पिता अलादीन खाँ की खातेदारी की थी जिनके स्वर्गवास के बाद उनके चार पुत्र सन्तान चान्दखाँ, जलालखाँ, फकरूदीन व कमरूदीन थे जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा व कब्जाकाश्त है। फकरूदीन ने अपना सम्पूर्ण हिस्से का बैचाण कर दिया इसलिए अब उसका वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं है।

वादी के बन्ट में खसरा नम्बर 378 की उत्तरी रकबा 09.02 बीघा भूमि बन्ट में रही। वादी के हिस्से के दक्षिण में 01.10 बीघा भूमि वादी ने

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 189/2015
दायर दिनाँक 07.10.2015, निर्णय दिनाँक 21.12.2018
जलालखाँ बनाम् बदरूदीन, वगैरा।

फकरूदीन से दिनाँक 24.04.2002 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय के खरीद की तथा उसके दक्षिण में रकबा 07.13 बीघा भूमि चाँदखाँ के बन्ट व कब्जे में रही इसी प्रकार खसरा नम्बर 377 में से उत्तरी रकबा 01.10 बीघा भूमि चाँदखाँ व उसके दक्षिण में रकबा 07.12 बीघा भूमि फकरूदीन जो धोलूखाँ पुत्र चाँदखाँ को दिनाँक 16.04.2002 जरिये रजिस्टर्ड विलेख के विक्रय कर दी उसके दक्षिण में दक्षिण में रकबा 09.02 बीघा भूमि कमरूदीन के हक व बन्ट में रही, इसी अनुसार पक्षकारान् काबिज काश्त रहे, जिनमें प्रतिवादी पक्ष की अपने–अपने हिंस्से में रहवासी ढाणियां बनी हुई हैं।

खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा व खसरा नम्बर 375 रकबा 19.19 बीघा वाकै सरहद डाबगाँव की भूमि खातेदार सलमूदीन, अलमूदीन, जियाउदीन पिसरान मोईदीन की 1/2 व मूहमूदखाँ पुत्र मनोहरखाँ व जैतून पत्नी मनोहरखाँ के 1/2 खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से खातेदार अलमूदीन, सलमूदीन व जियाउदीन ने अपना 1/2 हिस्स खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा का वादी के हक में दिनाँक 12.04.2001 को रजिस्टर्ड बैचाण कर दिया।

खसरा नम्बर 375, 372, 376 के 1/2 खातेंदार महमूद व जैतून से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के पिता स्वर्गीय चाँदखाँ व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 के पिता/पति स्वर्गीय कमरूदीन व फकरूदीन ने दिनाँक 29.05.2001 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण खसरा नम्बर 372 का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 376 के 1/2 भाग में से रकबा 06.07 बीघा व खसरा नम्बर 375 के 1/2 भाग में से रकबा 05.02 बीघा कुल रकबा 14.14 बीघा चारों भाइयों ने मिलकर खरीद लिया। वादी ने महमूद व जैतून से खसरा नम्बर 276 में से शेष बची 02.00 बीघा दिनाँक 29.05.2001 को खरीद की।

वादी ने अपने फकरूदीन से खसरा नम्बर 372, 376 व 375 में से रकबा उसका सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 भाग दिनाँक 24.04.2002 को खरीद लिया।

इस प्रकार उक्त खरीदसुदा समस्त भूमि के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण के पिता के बीच मौखिक बन्टवारा होकर खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 378 रकबा 09.02 बीघा भूमि तन्हा वादी के बन्ट में व कब्जाकाश्त में रखी गयी जिसको दर्शित करते हुए नजरीनक्शा अनुसूची "अ" पेश किया है। उक्त बन्टवारा होने के बाद वादी के हक व बन्ट की भूमि खसरा नम्बर 372, 376 व 378 में प्रतिवादीगण बैजा दखलन्दाजी व अन्यत्र बैचाण करने के कारण दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

खसरा नम्बर 377 व 378 की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड के नजरीनक्शा में दर्शित मुताबिक किया जावे।

खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा भूमि में से वादी द्वारा क्रमशः रकबा 04.17 बीघा व रकबा 13.11 बीघा रजिस्टर्ड बैचाण खरीद करने के बाद शेष बची भूमि में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 189/2015
दायर दिनाँक 07.10.2015, निर्णय दिनाँक 21.12.2018
जलालखाँ बनाम् बदरूदीन, वगैरा।

से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के पिता/पति स्वर्गीय चाँदखाँ व प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 13 के पिता/पति स्वर्गीय कमरूदीन के बीच हुए बन्टवारा अनुसार खसरा नम्बर 372 व 376 में से खरीदसुदा अपना–अपना हिस्सा वादी को बन्ट में देने (उसकी एवज में वादी का खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 01.10 बीघा भूमि चाँदखाँ व खसरा नम्बर 375 रकबा 02.11 बीघा वादी की खरीदसुदा भूमि कमरूदीन को बन्ट दे देने से) उक्त खसरा नम्बर 372, 376 की सम्पूर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 नाम हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 14 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण को पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिस कारण दिनाँक 16.07.2018 को जवाबदेही बन्द की गयी।

वादी की ओर से, वादी स्वयं व गवाह बिलालखाँ के शपथ–पत्र गवाह अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए।

वाद के समर्थन में वादी ने, प्रदर्श–1 नजरीनक्शा, प्रदर्श–2 खतौनी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2066–69 खसरा नम्बर 372, 372, 376, 377 व 378 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, प्रदर्श–3/1 रजिस्टर्ड बैचाण दिनाँक 29.05.2001, प्रदर्श–4/1 रजिस्टर्ड बैचाण दिनाँक 29.05.2001, प्रदर्श–5/1 रजिस्टर्ड बैचाण दिनाँक 12.04.2001 व प्रदर्श–6/1 रजिस्टर्ड 16.04.2002, प्रदर्श–7/1 रजिस्टर्ड दिनाँक 16.04.2002, की प्रतियाँ प्रदर्शित की।

विद्वान वकुलाय की उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, पक्षकारान् के बीच भौतिक रूप से मौखिक बन्टवारा होकर पक्षकारान् अलग–अलग अपने–अपने हिस्सों पर काबिज व काश्त है जिसको दर्शित करते हुए नजरीनक्शा पेश किया है जिसको अनुसार वादी के खसरा नम्बर 378 का उत्तरी रकबा 09.02 बीघा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा सम्पूर्ण वादी के अकेले कब्जाकाश्त माफिक मौखिकबन्ट चली आ रही है जिसके अनुसार खातेदारी वादी के नाम घोषित की जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के तर्क वितर्क पर मनन् करने के बाद व पत्रावली का अवलोकन करने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का बारीकी से अध्ययन् व मनन् करने के बाद वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
चितलवाना (सांचौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 189 / 2015
दायर दिनाँक 07.10.2015, निर्णय दिनाँक 21.12.2018
जलालखाँ बनाम् बदरूदीन, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद डाबगाँव के वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा भूमि सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 का नाम इन खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 378 रकबा 18.05 बीघा भूमि में से रकबा 09.02 बीघा उत्तरी भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर रहेगी।
3. खसरा नम्बर 378, 377, 375 व 376 की भूमियों में आने–जाने हेतु, नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में दर्शित मार्क भूमि ए बी सी डी को रास्ते की भूमि घोषित की जाती है जो कि 15 फुट चौड़ाई का होगा तथा नजरीनक्शा में दर्शित वर्तमान कटाणी रास्ते से शुरू होकर खसरा नम्बर 376 व 375 की सींव–सींव होकर व खसरा नम्बर 377 में से होकर खसरा नम्बर 378 तक जायेगा जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 चाँदखाँ के वारिसान् के हिस्से तक होगा।

वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा प्रदर्श–01, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 21.12.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **189 / 2015** दायर दिनाँक **07.10.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जलाल खां पुत्र अलादीन खां जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बदरूदीन पुत्र चान्द खां 2. धोलू खां पुत्र चान्द खां 3. अजीजखाँ पुत्र चाँदखाँ, 4. मो0 अली पुत्र चाँदखाँ, 5. युसुफखाँ पुत्र चाँदखाँ, 6. हासमअली पुत्र चाँदखाँ, 7. जुबैदा पत्नी चाँदखाँ, 8. एमना पत्नी कमरूदीन, 9. मंसूर पुत्र कमरूदीन, 10. सुल्तान पुत्र कमरूदीन, 11. हजरतअली पुत्र कमरूदीन, 12. गुलाम मुस्ताफ पुत्र कमरूदीन, 13. अ0हकीम पुत्र कमरूदीन, समस्त,जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **21.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सैयद अल्ताफ हुसैन व श्री जितेन्द्रसिंह, वकुलाय, वादी व श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 09 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद डाबगाँव के वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 372 रकबा 06.10 बीघा भूमि सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 376 रकबा 16.14 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 का नाम इन खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 378 रकबा 18.05 बीघा भूमि में से रकबा 09.02 बीघा उत्तरी भाग का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर रहेगी।
3. खसरा नम्बर 378, 377, 375 व 376 की भूमियों में आने–जाने हेतु नजरीनक्शा प्रदर्श–01 में दर्शित मार्क भूमि ए बी सी डी को रास्ते की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भूमि घोषित की जाती है जो कि 15 फुट चौड़ाई का होगा तथा नजरीनक्शा में दर्शित वर्तमान कटाणी रास्ते से शुरू होकर खसरा नम्बर 376 व 375 की सींव-सींव होकर व खसरा नम्बर 377 में से होकर खसरा नम्बर 378 तक जायेगा जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 चॉदखॉ के वारिसान् के हिस्से तक होगा।

वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे की खातेदारी व हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हों। नजरीनक्शा प्रदर्श-01, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........-.......... मुबलिंग...........-.............. बाबत....................
-....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........-......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner